

प्रेषक,

हरिराज किशोर,  
अपर मुख्य सचिव,  
उ०प्र० शासन 1

सेवा में,

समस्त सार्वजनिक उपक्रम/निगमों के प्रशासनिक विभागों के अपर मुख्य  
सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव 1

सार्वजनिक उद्यम अनुभाग-1

लखनऊ दिनांक 15 मार्च, 2017

विषय:-सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों के अवर अभियन्ताओं को रुपये 400/- प्रतिमाह  
विशेष भत्ता दिये जाने के संबंध में 1

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सार्वजनिक  
उपक्रमों/निगमों के अवर अभियन्ताओं को रुपये 400/- प्रतिमाह विशेष भत्ता दिनांक-  
26 दिसम्बर 2016 से इस प्रतिबन्ध के अधीन अनुमन्य कराये जाने का निर्णय लिया  
गया है कि इससे आने वाले अतिरिक्त व्यय भार को सम्बन्धित उपक्रम/निगम द्वारा  
स्वयं वहन किया जायेगा 1

2- उक्त निर्णय को लागू करने के फलरूप यदि कोई असंगति अथवा  
व्यवहारिक कठिनाई उत्पन्न हो तो उनका निराकरण मा० मुख्य मंत्री जी के आदेश  
प्राप्त कर किया जायेगा 1

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या- वे०आ०-2-216/दस/2017,  
दिनांक 01 मार्च, 2017 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं 1

भवदीय,

हरिराज किशोर  
अपर मुख्य सचिव 1

संख्या-2/2017/26/44-1-2017-07/2017,तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, लेखा परीक्षा द्वितीय 30 प्र० लखनउ 1
- 2- वित्त वेतन आयोग अनुभाग-2
- 3- सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों के प्रबन्ध निदेशक 1
- 4- महानिदेशक, सार्वजनिक उद्यम व्यूरो, 30 प्र० लखनउ 1
- 5- गार्ड फाइल 1

आज्ञा से,

मुरारी लाल  
उप सचिव 1